न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 14 / 2014 (18 आयुध अधिनियम 1959)(R.C.M.S . no 2014/00063)

महिलाल पुत्र चरनसिंह जाति जाट निवासी नदबई थाना नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर दिनांक 1.10.2013 बाबत निलम्बित करने शस्त्र अनुज्ञापत्र नम्बर 120 / 86 अंतर्गत धारा 18 आयुध अधि0।

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 2.5.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के निर्णय दिनांक 1.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट महिलाल को शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 120 / 86 डीएम भरतपुर जारी किया गया था। अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के संबध में जिला पुलिस आधीक्षक भरतपुर से जांच कराई गई तो जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा जांच रिपोर्ट क्रमांक 15036 दिनांक 3.12.2011 से अवगत कराया कि अपीलान्ट पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है और इसलिऐ अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.10.2013 पारित करते

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हुये अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया तथा अनुज्ञापत्र में दर्ज हथियार को तत्काल संबधित थाने में जमा कराये जाने के आदेश पारित किये गये । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्यान्तों के विपरीत है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र बिना किसी कारण के बिना अपीलान्ट को सुने अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापनत्र को अनिश्चित काल के लिये निलम्बित कर दिया है जो कानून के खिलाफ है। आयुध अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञापत्र अनिश्चित काल के लिये निलम्बित नहीं किया जा सकता। अनुज्ञापत्र अधिकारी को वाजिव कारण सहित एक निश्चित अवधि तय करनी चाहिऐ थी। अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश में जिस मुकदमें का जिक्र किया गया है वह तो पूर्व में ही सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका है उस प्रकरण में अपीलान्ट को वइज्जत वरी किया गया है। अपीलान्ट एक वृद्ध सामाजिक व्यक्ति है। अपीलान्ट ने कभी भी अपने शस्त्र का दुरूपयोग भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के पारित अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसलिऐ अपीलान्ट को इसकी जानकारी ही नहीं थी । अपीलान्ट को इसकी जानकारी दिनांक 12.12.2013 को हुई। तत्काल आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 1.1.2014 को नकल प्राप्त हुई। दस्तावेजों की पूर्ति कर यह अपील होने जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। जिसके लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.10.2013 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह है कि कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा दौराने अपीलान्ट शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण जब जिला पुलिस अधीक्षक

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

से रिपोर्ट तलब की गई तो जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 15036 दिनांक 3.12.2011 से अवगत कराया गया कि अपीलान्ट महिलाल के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है और अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा दौराने पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.10.2013 विधिवत सभी न्याकिय प्रकियाये पूर्ण की गई है । तदोपरान्त तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट से सन्तुष्ट होकर क्षेत्र की शांति व्यवस्था की स्थिति को दुष्टिगत रखते हुये शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) (ख) के प्रावधानो के अनुसार अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र संख्या 120/86 डीएम भरतपुर को निलम्बित किया गया है जो विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर न्यायिक है। तहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर भी प्रदान किया गया है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी सक्ष्य सबूत/निर्णय तहत अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे उस पर दायर आपराधिक मुकदमों में वे वरी किये गये हों। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 28.3. 2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वह काफी वृद्ध हो चुका है तथा आंखों से भी कम दिखाई देता है। बन्दुक थाना नदबई में जमा है। प्रार्थना है कि प्रार्थी के लाईसेंस को निरस्त करने की कृपा करें। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> ''Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि– ''Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। दौराने रिकार्ड अवलोकन अपीलान्ट ने अपनी अपील की मद संख्या 4 में यह कथन किया है कि उसके खिलाफ पूर्व में दायर आपराधिक मुकदमों का निस्तारण हो चुका है किन्तु अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य/निर्णय अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि उस पर दायर आपराधिक प्रकरण में वह सक्षम अदालत द्वारा वरी किया जा चुका हो। इसके अलावा स्वयं अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.3.2016 तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वह काफी वृद्ध हो चुका है एवं आंखो से कम दिखाई देता है बन्दुक भी थाना नदबई में जमा है इसलिऐ लाईसेंस को निरस्त कर दिया जावे । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की मंशा के अनुसार तहत अदालत द्वारा दिनांक 7.4.2016 को लाईसेंस निरस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। लिहाजा तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.10. 2013 में हम कोई विधिक त्रुटी नहीं पाते है। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.10.2013 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 2.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official